

मूल वाद मेंडिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:-शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:-159/2014

उनवान

महावीर प्रसाद बनाम रामकरण वगै०

दावा बाबत:- बंटवारा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक:- 31.03.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री कृष्ण कुमार उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 31.03.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है किवाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है किवाद वादी मुताबिक राजीनामा वादी महावीर प्रसाद व रामकरण प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम अजाड़ी खुर्द तहत तहसील झुंझुनू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 86 व 88 में से 3 फीट चौड़ाई रामकरण प्रति० 1 के हक हिस्से में से 5 फीट चौड़ाई का वादी महावीर के हक हिस्से से रास्ता भूमि कायम करते हुए शेष भूमि में से वादी व प्रतिवादी का बहिस्सा 1/2-1/2 हक हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।


(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	36
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सवृत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिफ	
योग	41		36


उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू